रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274768
CG-DL-E-24072026-274768

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3876] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948
No. 3876] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026//SHRAVAN 1, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4046(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 घ का अनुसरण करते हुए , राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के साथ उक्त सारणी के स्तंभ 4 में उल्लिखित कंपनी द्वारा विनिर्मित के लिए, निम्नलिखित नैनो उर्वरकों को अधिसूचित करती है, अर्थात्

(1) नैनो यूरिया 21 % (तरल)

क्र. सं.	पैरामीटर	विशेष विवरण	उत्पादक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन प्रतिशत, न्यूनतम	21.0	मेसर्स बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड
2.	डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग विश्लेषण के अनुसार द्रवगतिकी कण आकार	सामग्री का न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग 100>एन एम होना चाहिए ।	
3.	ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी	सामग्री का न्यूनतम 50 प्रतिशत	

	विश्लेषण के अनुसार भौतिक कण आकार	भाग <100 एन एम होना चाहिए।	
4.	जीटा पोटेंशियल मिलीवोल्ट) + -/ में (पैमाना	>10	

2. विनिर्माता को निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा:-

(क) विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि नैनो उर्वरकों की कोई भी जबरदस्ती बिक्री न हो यानी

उन्हें अन्य उर्वरकों या किसी भी अन्य प्रकार के कृषि इनपुट के साथ जोड़कर न बेचा जाए;

(ख) विनिर्माता नैनो उर्वरक के कंटेनर के लेबल पर या नैनो उर्वरक के कंटेनर के साथ पैक किए जाने वाले एक अलग पत्रक पर, फसलवार नैनो उर्वरक की खुराक, फसल की वह अवस्था जिस पर नैनो उर्वरक का प्रयोग किया जाना है और नैनो उर्वरक के प्रयोग की विधि मुदित मुद्रित करेगा; और

(ग) विनिर्माता विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों पर किसानों को नैनो उर्वरक के उपयोग के लाभों के बारे में प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा।

[फा. सं. 4-36/2026 उर्वरक विधि-II]

फ्रैंकलिन एल. खोबंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4046(E).—In pursuance of clause 20D of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) Control Order,1985, the Central Government hereby notifies the following Nano fertilisers with their specifications specified in column (3) of the Table below, to be manufactured by the company mentioned in column (4) of the said Table, for a period of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely,- .

(1) Nano Urea 21% (liquid)

TABLE

S.No.	**Parameter**	**Specifications**	**Name of Manufacturer**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Total Nitrogen per cent. by weight, minimum	21.0	M/s Best Agro life Limited
2	Hydrodynamic particle size as per Dynamic Light Scattering analysis	minimum 50 per cent. of the material shall be<100nm	
3	Physical Particle Size as per Transmission Electron Microscopy analysis	minimum 50 per cent. of the material shall be <100 nm	
4	Zeta Potential in mV (+/-scale)	>10	

2. The manufacturer shall comply with the following terms and conditions:-

(a) The manufacturer shall ensure that there shall be no forced sale of Nano fertilisers by tagging with other fertilizers or any other kind of Agri inputs;

(b) The manufacturer shall print on the label of the container of nano fertilizer or on a separate leaflet to be packed with container of Nano fertilizer, the crop wise dose of Nano fertilizer, Crop stage at which the nano fertilizer is to be applied and method of application of Nano fertilizer; and

(c) The manufacturer shall ensure demonstrations to farmers at various Krishi Vigyan Kendras on the advantage of using of Nano fertilizer.

[F. No. 4-36/2026-Fert. Law (II)]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.24 16:17:58 +05'30'